यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–76 / 2019 प्रार्थना पत्र

श्री जोधा सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गोर्वधनसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजकंवर पुत्री मनोहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
समता कंवर पुत्री मनोहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
कूमकंवर पत्नि मनोहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री शंकर सिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
बलूसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
तनकंवर पिता रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ीमति लाडकंवर पत्नि रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
कोमल पुत्री जोरावरसिंह राजपूत, उम्र नाबालिग जरिये दादी लाडकंवर पत्नि रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
लक्ष्मी पुत्री जोरावरसिंह राजपूत, उम्र नाबालिग जरिये दादी लाडकंवर पत्नि रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सोनू पुत्री जोरावरसिंह राजपूत, उम्र नाबालिग जरिये दादी लाडकंवर पत्नि रघुनाथसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
शंकरसिंह पिता भीमसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति कमला कंवर पत्नि भीमसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थीगण

बनाम

ी लक्ष्मण गिरी पिता भैरू गिरी गोस्वामी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी मोहनगिरी पिता शंकर गिरी गोस्वामी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ीमति लक्ष्मी देवी पत्नि श्रीराम गाडरी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी मांगू पिता भागीरथ गाडरी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी नानू पिता भागीरथ गाडरी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी छोगा पिता भागीरथ गाडरी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी भैरूसिंह पिता चावण्ड सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–6.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–ाजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा ाटवार हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 237, 238 कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 8 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् जे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल ते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 हत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 237, 238 कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये गढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, ंकला को 550/–रूपये (पॉच सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की गी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner